# ORDER-SHEET

## *The Electricity Ombudsman, MPERC, 5th Floor, Metro Plaza, Bhopal*

***Case No. L00-017/2015***

| ***Date of order of proceeding*** | ***Order of proceeding with Signature of presiding officer***<br><br>**श्री सुशील मकवाना, इंदौर** | ***Signature of parties or pleaders where necessary*** |
|---|---|---|
| 11.08.15 | आवेदक अनुपस्थित एवं लिखित प्रतिवेदन प्राप्त। अनावेदक की ओर से श्री एस.के. टेहलयानी, अधीक्षण यंत्री उपस्थित हुए।<br><br>02 आवेदक उपस्थित नहीं हुआ किन्तु उनका एक लिखित प्रतिवेदन कार्यालय में प्राप्त हुआ जिसमें उनके द्वारा अपने व्यक्तिगत कारणों से प्रकरण में उपस्थित होने में असमर्थता व्यक्त की है एवं अनुरोध किया है कि उनके पत्र दिनांक 4.8.2015 को भेजे दस्तावेज के अनुसार बिन्दुओं को तर्क में शामिल किया जाए।<br><br>03 अनावेदक की ओर से श्री एस.के. टेहलयानी, अधीक्षण यंत्री उपस्थित हुए। अनावेदक द्वारा तर्क के दौरान आवेदक के परिसर में लगे मीटर की परीक्षण रिपोर्ट तथा जनवरी 2011 से जनवरी 2015 तक की अवधि में परिसर में हुई विद्युत खपत का विवरण एवं परिसर का भौतिक सत्यापन का पंचनामा प्रस्तुत किया है।<br><br>04 प्रकरण में उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि :–<br><br>अ. आवेदक द्वारा केवल जनवरी, फरवरी व मार्च 2015 में उनके परिसर के विद्युत बिलों में अधिक राशि आने के कारण एवं बिल अधिक आने पर अनावेदक द्वारा कार्यवाही न करने पर शिकायत की है। इस संबंध में उनके द्वारा विद्युत वितरण कंपनी की लापरवाही के संबंध में विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार की कतरनों को लगाकर यह साबित करने की कोशिश की गई कि उनकी खपत भी मीटर की गड़बड़ी के कारण अधिक आई है। आवेदक द्वारा विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम इंदौर द्वारा पारित एक अन्य प्रकरण के निर्णय की प्रतिलिपि भी प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा संबंधित आवेदक को रियायत प्रदान की गई। प्रस्तुत निर्णय के अवलोकन करने पर पाया गया कि इस प्रकरण का आवेदक के प्रकरण से कोई प्रासंगिकता नहीं है । | |

ब. अनावेदक द्वारा आवेदक की शिकायत के संबंध में उनके परिसर में स्थायी मीटर का परीक्षण किये जाने संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें मीटर की कार्यप्रणाली सही पायी गई है।

स. अनावेदक द्वारा परिसर का भौतिक सत्यापन कर पंचनामा प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार परिसर में 3 किरायेदारों द्वारा विद्युत का उपयोग किया जाना पाया गया जिसका कि कुल संयोजित भार 1180 किलोवाट पाया गया है।

द. अनावेदक द्वारा जनवरी 2011 से जनवरी 2015 तक की खपत का प्रस्तुत प्रतिवेदन के अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि परिसर में विद्युत खपत में प्रत्येक माह काफी उतार–चढ़ाव है तथा यह भी स्पष्ट है कि किन्ही माहों में तो खपत आवेदक द्वारा विवादित माह की खपत से भी अधिक पायी गई जो यह दर्शाता है कि आवेदक के परिसर में रहने वाले किरायेदारों द्वारा अपनी जरूरत के मुताबित विद्युत खपत की जाती है जिस पर आवेदक का कोई नियंत्रण नहीं है। क्योंकि परिसर में लगे मीटर की कार्यप्रणाली परीक्षण के दौरान सही पायी गई है। अतः आवेदक का यह कहना कि उनके परिसर में जनवरी, फरवरी व मार्च 2015 में दर्ज की गई खपत अधिक है मान्य नहीं है।

05 अतः उपरोक्त निष्कर्ष के आधार पर आवेदक की शिकायत अमान्य करते हुए फोरम द्वारा दिये गये निर्णय की पुष्टि की जाती है।

06 आदेश–पत्र की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश–पत्र की निशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

**विद्युत लोकपाल**

**प्रतिलिपि :**

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदकगण की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

**विद्युत लोकपाल**